

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद कं.-62ए/2013
प्रस्तुति दिनांक-27.11.2013

धानूराम पिता विपतलाल, उम्र 35 वर्ष, जाति मरार,
निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- वादी

बनाम

1-मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-विनीत कुमार पिता विपतलाल, उम्र 14 वर्ष,
नाबालिग वली मां मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-डोमनबाई पिता विपतलाल, उम्र 18 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-तमेश्वरी बाई पिता विपतलाल, उम्र 16 वर्ष,
नाबालिग वली मां मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

5-ललिताबाई पिता विपतलाल, उम्र 12 वर्ष,
नाबालिग वली मां मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

6-हेमलताबाई पति राजकुमार, उम्र 23 वर्ष,
निवासी-ग्राम बोदा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

7-रेवतीबाई पति गजानंद, उम्र 21 वर्ष,
निवासी-ग्राम जगला, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

8-म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर महोदय,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

प्रतिवादीगण

// आदेश //

(दिनांक-26/11/2014 को पारित)

- 1- इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 व 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 5) का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं हैं।
- 3- प्रतिवादी क्रमांक-1 व 3 का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मानेगाव प.ह.नं. 40, खसरा नम्बर 79/11, रकबा 1.00 एकड़ (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के पति व प्रतिवादी क्रमांक-3 के पिता विपतलाल द्वारा उन्हें बंटवारे में प्राप्त हुई थी। उक्त विवादित भूमि पर वादी ने नायब तहसीलदार बिरसा से मिलकर अपना नाम दिनांक-01.12.2010 के आदेश द्वारा दर्ज करा लिया। विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में व्यवहार न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार वसीयतनामा का निराकरण किया गया है, जिसमें बंटवारे का उल्लेख नहीं था। विवादित भूमि को वादी द्वारा बेचने से रोका जाना आवश्यक है। अतएव उक्त के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।
- 4- वादी ने उक्त आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है। विवादित भूमि के संबंध में पूर्व निर्णय प्रतिवादीगण पर बंधनकारी है। विवादित भूमि को वादी के द्वारा नहीं बेचा जा रहा है। वादी के पास विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमि नहीं है तथा वह विवादित भूमि के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 3 का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।
- 5- प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 व 4 से 8 प्रकरण में पूर्व से एकपक्षीय है तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है।

6— आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:—

- 1— क्या प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 के पक्ष में है?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 के पक्ष में है?
- 3— क्या प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उन्हें अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

: : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

7— प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 ने आवेदन के समर्थन में स्वयं अथवा किसी अन्य का शपथ पत्र तथ्यों को प्रस्तुत करते हुये पेश नहीं किया है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह भी प्रकट नहीं किया है कि वादी के द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किस व्यक्ति को और किस प्रकार किया जा रहा है। विवादित भूमि का कथित करार होने या विक्रय करने के प्रयास के संबंध में प्रतिवादीगण ने आवेदन या शपथ पत्र में कोई तथ्य पेश नहीं किया है। वादी ने कथित विक्रय करने या उसके करार से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 का आवेदन पत्र प्रथम दृष्ट्या काल्पनिक आधार पर पेश किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 के पक्ष में नहीं पाया जाता।

8— विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 का वसीयत के आधार पर स्वत्व का दावा पूर्व निर्णय अनुसार निरस्त हो चुका है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 को बिना किसी अधिकार के वादी के विरुद्ध इस स्तर पर निषेधाज्ञा पाने का अधिकार प्रथम दृष्ट्या प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 के पक्ष में सुविधा का संतुलन होना प्रकट नहीं होता है और न ही उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न करने से उन्हें ऐसी क्षति होना संभव है, जिसकी भरपायी धन के रूप में न की जा सके। अतएव विचारणीय बिन्दु क्रमांक—1 से 3 प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं।

9— उपरोक्त सम्पूर्ण कारणों से प्रतिवादी क्रमांक—1 व 3 का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सहपठित धारा—151 व्य.प्र.सं. (आई.ए.नं. 5) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)